

लैंगिक समानता की कानूनी जीत

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गर्भावस्था के आधार पर महिलाओं को रोजगार देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसने गर्भवती महिलाओं को सरकारी पदों के लिये पात्र होने से रोकने वाले नियम को पलट दिया।


मुख्य बंदि:

- यह ऐतहिसकि फैसला मशिा उपाध्याय के मामले से प्रेरति था, जिन्हें गर्भावस्था के कारण नरसगि अधकिारी का पद देने से इंकार कर दिया गया था।
- उच्च न्यायालय ने **12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती महिलाओं को रोजगार के लिये "अस्थायी रूप से अयोग्य"** बताने वाले राज्य सरकार के वनियिमन को अमान्य कर दिया।
 - इसमें फटिनेस प्रमाण-पत्र की आवश्यकता के साथ-साथ प्रसव के छह सप्ताह बाद एक पंजीकृत चकितिसक द्वारा मेडिकल जाँच को भी अनविरय कया गया है।
- न्यायालय ने राज्य की कार्रवाई को "महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक भेदभावपूर्ण" माना तथा [संवधिन के अनुच्छेद 14, 16 और 21](#) के उल्लंघन पर ज़ोर दिया।
 - **अनुच्छेद 14** में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर, राज्य किसी भी व्यक्तिको धरम, नसल, जाति, लगी या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के तहत समान सुरक्षा से वंचति नहीं कर सकता है।
 - **अनुच्छेद 16** में कहा गया है कि राज्य के तहत रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।
 - **अनुच्छेद 21** कहता है कि किसी भी व्यक्तिको वधि द्वारा स्थापति प्रक्रिया के अतरिकित उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचति नहीं कया जा सकता है।
- यह ऐसे कारयस्थलों को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकति करता है जो महिलाओं के प्रजनन वकिल्पों का सम्मान करते हैं और उन्हें समायोजति करते हैं, जो **सतत् विकास लक्ष्य 5** सहति **लैंगिक समानता** की दशिा में व्यापक वैश्वकि प्रयासों के साथ संरेखति होते हैं।

ACHIEVE GENDER EQUALITY AND EMPOWER ALL WOMEN AND GIRLS

THE WORLD IS **NOT ON TRACK** TO ACHIEVE GENDER EQUALITY BY 2030

OUT OF GOAL 5 INDICATORS:



AT THE CURRENT RATE, IT WILL TAKE



300 YEARS TO END CHILD MARRIAGE



286 YEARS TO CLOSE GAPS IN LEGAL PROTECTION AND REMOVE DISCRIMINATORY LAWS



140 YEARS TO ACHIEVE EQUAL REPRESENTATION IN LEADERSHIP IN THE WORKPLACE

LEGISLATED GENDER QUOTAS ARE **EFFECTIVE** TO ACHIEVE EQUALITY IN POLITICS

WOMEN'S REPRESENTATION IN PARLIAMENT

[2022]



30.9%
COUNTRIES APPLYING QUOTAS



21.2%
COUNTRIES WITHOUT QUOTAS



NEARLY HALF OF MARRIED WOMEN LACK DECISION-MAKING POWER OVER THEIR SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS

1 IN 5 YOUNG WOMEN

ARE MARRIED BEFORE THEIR 18TH BIRTHDAY



